

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक-573 / 13

संस्थापित दिनांक 04 / 12 / 2013

फाईलिंग नं. 233504000842013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

अन्नु उर्फ अनिल पिता सूरज, उम्र 26 वर्ष
 जाति पंवार, पेशा मजदूरी, नि0 तहसीलदार की चाल,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-17 / 12 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-509, 294, 323 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 23 / 11 / 13 को 12:40 बजे या लगभग थाना आमला जिला बैतूल (म0प्र0) अंतर्गत रेल्वे कालोनी हनुमान मंदिर के पास रोड पर आमला में फरियादी को अश्लील शब्दों का उपयोग कर चलने के लिए कहा जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। आपने फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप गाली गुप्तार कर फरियादी नीलीमा एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया। आपने फरियादी को हाथ मुक्का से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23 / 11 / 13 दिन शनिवार को उसके गांव ससावड़ से पैदल बल्ला चाल से होते हुये रेल्वे स्टेशन आ रही थी दिन के करीबन 12:40 बजे रेल्वे कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास से जा रही थी। उसके पीछे से एक मोटर साईकिल चलाते हुये उसके बाजू से निकल रहा था। उसे अकेला देखकर गली गुप्तार कर अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगा जो उसने मना किया तो उसे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जो उसे बांये हाथ पंजे पर अंदरूनी चोट लग कर दर्द हो रहा है जो रास्ते से आने जाने वालों ने देखा है।

03- प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक 444 / 13 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 509 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 26 / 11 / 13 को घटना का

नक्शा मौका प्र०पी०-3 बनाया गया, फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 4 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

1. “आपने दिनांक 23/11/13 को 12:40 बजे या लगभग थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०) अंतर्गत रेल्वे कालोनी हनुमान मंदिर के पास रोड पर आमला में फरियादी को अश्लीलशब्दों का उपयोग कर चलने के लिए कहा जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है?”
2. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप गाली गुप्तार कर फरियादी नीलीमा एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया?”
3. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को हाथ मुक्का से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न कं. 1, 3 का निराकरण :—

06— अभियोजन साक्षी कुं. नीलीमा (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आमला में रेल्वे कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास से जा रही थी, उसके पिछे से एक मोटर साईकिल चलाते हुये उसके बाजू से निकल रहा था तो वो लोग चुनाव प्रचार करने जा रहे थे उससे कामेन्ट किये कि उसे साथ में रख लो तो अच्छी पब्लिक सीटी हो जायेगी और आरोपी शराब पिये हुआ था और उसके पास मोटर साईकिल इतने करीब से लेकर गये कि उसे टक्कर मारी जिससे उसका चश्मा और बेग नीचे गिर गया था जिसमें उसका चश्मा टूट गया, जब उसने लेडिस हेल्पलाईन 1090 में शिकायत की तो आरोपी मोटर साईकिल से उत्तर कर उसकी शिकायत कर रही है कहकर दो झापड़ उसके गाल पर मार दिया। फिर वह गाड़ी लेकर भाग गया। शासन द्वारा पक्षविरोधी घोषित होने पर सूचक प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे अश्लील शब्द जानेमन चलती है क्या, कहा था जो सुनने में उसे बहुत बुरा लगे थे। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

07— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में बचाव पक्ष की ओर से पूछा गया है कि उसने रिपोर्ट के समय यह बता दिया था कि आरोपी चुनाव की किसी रेली में शामिल थे और चुनाव प्रचार में रख लो अच्छी खाशी पब्लिक सीटी हो

जायेगी। उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 में उल्लेख नहीं है। साथ ही फरियादी नीलीमा के 161 द०प्र०सं० के कथनों में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा उसे अश्लील शब्द कहे गये।

08— आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे अश्लील शब्द जानेमन चलती है क्या, कहा जो सुनने में बहुत बुरे लगे थे, जो कि उक्त तथ्य प्रथम सूचना पत्र पर उल्लेख नहीं है, किन्तु कुं. नीलीमा के 161 द०प्र०सं० के कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि फरियादी कुं नीलीमा को जाने मन चलती है क्या? अश्लील शब्द उच्चारित किया गया, जिससे उसे एक स्त्री की लज्जा भंग करने का अनादर करने के आशय से शब्दों का उच्चारण किया गया।

09— अभियोजन साक्षी कुं० नीलीमा (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी शिकायत कर रही है कहकर उसे दो झापड़ उसके गाल पर मार दिया। उसी प्रकार सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। किन्तु उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा उसके गाल में हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

10— अभियोजन साक्षी शेख खलिफ (अ०सा०१) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी बाबूललाल पंवार (अ.सा.२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 लेखबद्ध की थी। जिसका समर्थन स्वयं फरियादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वाले उसके घर आए थे फिर उसने रिपोर्ट की थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 प्रमाणित है। उक्त रिपोर्ट घटना होने की पुष्टि करती है।

12— अभियोजन साक्षी मंगलमूर्ति (अ.सा.४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने घटना स्थल पर जाकर प्रार्थीया नीलीमा की निशानदेही में घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी० 3 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/11/13 को गवाहों के समक्ष आरोपी अन्नु उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 4 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी नीलीमा गवाह शेख खलिक के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था जिसमें उसने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

13— उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि उसने घटना नक्शा मौका प्र०पी० 3 फरियादी नीलीमा की निशादेही पर जाकर तैयार नहीं किया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने नक्शा मौका थाने में तैयार कर लिया है। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन उसने उसके मन से लेख कर लिया है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा घटना स्थल पर घटना नक्शा मौका बनाया गया एवं गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार

लेखबद्ध किए और फरियादी नीलीमा ने भी कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन होता है।

14— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्दों का उपयोग कर चलने के लिए कहा, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्का से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण

15— अभियोजन साक्षी नीलीमा (अ.सा.2) ने अपनी मुख्यपरीक्षा में किस प्रकार की अश्लील गालियों दी, यह स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त ने लोक स्थान या उसके समीप गाली गुप्तार कर फरियादी नीलीमा एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्दों का उपयोग कर चलने के लिए कहा जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्का से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्त फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप गाली गुप्तार कर फरियादी नीलीमा एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त अन्नू उर्फ अनिल को भा०द०वि० की धारा-294 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 509, 323 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त अन्नू उर्फ अनिल को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

17— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दिलीप सोनी ने व्यक्त किया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है और परिवार का कर्ता सदस्य है। अभियुक्त मजदूरी करता है। उसके जेल जाने से उसके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उसे अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा

अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

18— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई है और फरियादी को अश्लील शब्दों का उपयोग कर चलने के लिए कहा जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। आरोपी प्रकरण के विचारण तीन वर्ष से भाग लेते रहा है और अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को कारावास की सजा से न दंडित करते हुये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

कं	अभियुक्त	धारा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यति- क्रम में साधारण कारावास
1.	अन्नु उर्फ अनिल	509 भा.द.वि.	अभियुक्त को 600/- (छै:सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 (दो) माह का साधारण कारावास से भुगताया जावे।
2.	अन्नु उर्फ अनिल	323 भा.द.वि.	अभियुक्त को 600/- (छै: सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 (दो) माह का साधारण कारावास से भुगताया जावे।

19— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।

20— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत फरियादी नीलीमा को कुल अर्थदण्ड की राशि 1200/- (एक हजार दो सौ) रुपये में से क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 800/- (आठ सौ) रुपये प्रदान किया जावे और शेष राशि राजसात की जावे।

21— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

22— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(6)

दा०प्र०क०-573 / 13